Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

22 दिसम्बर 2018
नई दिल्ली

लातेहार मॉब लिंचिंग मामले का फैसला क़ानूनी लड़ाई की जीतः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना ने झारखण्ड के लातेहार में मार्च 2016 में दो पशु व्यापारियों मज़लूम अंसारी और इमतियाज़ ख़ान की हत्या के मामले में दोषी पाए गए सभी 8 गौरक्षकों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाए जाने पर इसे क़ानूनी लड़ाई की एक बड़ी जीत माना है। उन्होंने लातेहार जिला न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया। झारखण्ड एक ऐसा राज्य है जहां गौरक्षा के नाम पर हिंदुत्व ताक़तों के भड़काने से निर्दोष मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया गया है। लिंचिंग का यह दूसरा मामला है जिसमें गौरक्षकों को सज़ा सुनाई गई है। इसी साल मार्च के महीने में झारखण्ड की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने रामगढ़ में अलीमुद्दीन अंसारी हत्या केस में एक बीजेपी नेता सहित 11 आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सज़ा सुनाई थी। मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि रिश्तेदारों की हिम्मत और लातेहार मामले की लगातार पैरवी की वजह से ही पीड़ितों को न्याय मिला है। हालांकि उन्हें यह मामला वापस लेने के लिए लगातार डराया और धमकाया भी जाता रहा है। मुहम्मद अली ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट पीड़ित परिजनों की क़ानूनी लड़ाई में हर मौके पर उनका समर्थन करता रहा है। उम्मीद है कि अपराधियों को मिली सज़ा से दोबारा कोई इस प्रकार की घटना दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह जीत मॉब लिंचिंग के दूसरे पीड़ित परिजनों के लिए अपनी क़ानूनी लड़ाई को मज़बूती से जारी रखने का हौसला देती है।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली